

E-08



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1958GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फ़ोन : (0651) 2360895 / Extn. 5144, ईमेल : gme.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/सीपी/ई5-ई6/25/ 3571-90

दिनांक: 01/03/2025

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C5A(CC)/Prom.E5-E6_CP/2024/B-176 dated 26.02.2025 के आलोक में निम्नलिखित प्रबन्धक (सीपी)/ई5 ग्रेड की प्रोन्नति वरीय-प्रबन्धक (सीपी)/ई6 ग्रेड (वेतनमान रु. 90,000-2,40,000/-) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सक्षम दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

S.N	Name	EIS No.	Place of Posting
1	Roshan Kumar	90272295	Washery Construction Deptt., CCL HQ

संबन्धित अधिकारी की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए महाप्रबंधक(वाशरी/कन्स्ट्रक्शन) को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से साठ(60) दिनों के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

निधि रकबखो
1/3/25
उप-प्रबन्धक (कार्मिक-अधि.स्था.)

प्रतिलिपि :-

- निदेशक(तकनीकी/संचालन)/निदेशक(परियोजना एवं योजना)/निदेशक(कार्मिक)/निदेशक (वित्त), सीसीएल, राँची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक (वाशरी/कन्स्ट्रक्शन)/(वाशरी)/(प्रणाली)/(सतर्कता) /(अधि. स्था.)/(प्रशासन)/(एचआरडी)/(वित्त), सीसीएल, राँची।
- मुख्य प्रबंधक/ वरीय - प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/(स्था.), सीसीएल, राँची।
- उप-प्रबन्धक/प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)/, सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- उप-प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, राँची।
- सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबन्धित अधिकारी।